भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 143

दिनांक 29 जनवरी, 2026 को उत्तरार्थ

.....

पुराने बांधों की स्थिति और उनकी सुरक्षा

143. श्री जी. लक्ष्मीनारायणः

डॉ. बायरेड्डी शबरीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पचास वर्ष से अधिक पुराने बांधों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है और उनके चालू होने का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन बांधों की संरचनात्मक सुरक्षा संपरीक्षा अथवा सुभेद्यता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने बांधों की पहचान की गई है जिनकी तत्काल मरम्मत, पुनर्स्थापन या आधुनिकीकरण की आवश्यकता है;

(ग) बांध पुनर्स्थापन और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) अथवा किसी अन्य केन्द्रीय/राज्य द्वारा वित्तपोषित परियोजना के अंतर्गत विगत पांच वर्षों के दौरान किए गए मरम्मत और पुनर्स्थापन कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त कार्यों के लिए राज्य-वार और योजना-वार कुल कितनी निधि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है; और

(ङ) क्या किसी बांध की पहचान असुरक्षित या टूटने के जोखिम वाले बांध के रूप में की गई है और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और संभावित खतरों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा संकलित राष्ट्रीय विनिर्दिष्ट बांध रजिस्टर (एनआरएसडी), 2025 के अनुसार, 1,681 विनिर्दिष्ट बांध हैं जो पचास वर्ष से अधिक पुराने हैं। विनिर्दिष्ट बांधों का व्यापक राज्य-वार ब्यौरा, उनके चालू होने के संबंधित वर्षों के साथ निम्नवत लिंक के माध्यम से उपलब्ध है:

https://dharma.cwc.gov.in/#/national-register-of-specified-dams-(nrsd)-2025

(ख): बांधों के प्रचालन, रखरखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से बांध मालिकों की होती है। बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार, एक विनिर्दिष्ट बांध के प्रत्येक मालिक को प्रति वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विनिर्दिष्ट बांध का मानसून पूर्व और मानसून पश्चात निरीक्षण करना अनिवार्य होता है। इसकी अनुपालना में, बांध के स्वामित्व वाली

एजेंसियों ने वर्ष 2025 में क्रमशः लगभग 6524 और 6553 बांधों के मानसून पूर्व और मानसून पश्चात निरीक्षण करने की सूचना दी है।

मानसून-पूर्व और मानसून पश्चात निरीक्षणों के निष्कर्ष के आधार पर, बांधों के मरम्मत/रखरखाव की तात्कालिकता के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा रहा है। श्रेणी-III के लिए मामूली उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता होती है जिन्हें वर्ष के दौरान ठीक किया जा सकता है। श्रेणी-II प्रमुख कमियों को दर्शाती है जिनमें त्वरित उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता होती है और श्रेणी-I सबसे गंभीर कमियों को दर्शाती है, जिन पर यदि ध्यान नहीं दिया जाता है, तो वे बाँध भंग होने का कारण बन सकती हैं।

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025 की मानसून पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि तीन विनिर्दिष्ट बांधों को श्रेणी-I के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ये बाँध, तेलंगाना में मेडीगड्डा बैराज, उत्तर प्रदेश में लोअर खजूरी बांध और झारखंड में बोकारो बैराज हैं।

इसके अलावा, 216 बांधों को श्रेणी-II के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से 69 विनिर्दिष्ट बांध पचास वर्ष से भी अधिक पुराने हैं।

(ग) और (घ): बांध सुरक्षा के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ देश भर में चयनित मौजूदा बांधों की सुरक्षा और परिचालन कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए, भारत सरकार द्वारा बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप), चरण- II और III को कार्यान्वित किया जा रहा है। यह स्कीम 10 वर्ष की अवधि (2021-2031) की है और इसे दो वर्षों के ओवरलैप के साथ छह-छह वर्ष की अवधि के दो चरणों में बाह्य वित्तपोषण से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम में 10,211 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 19 राज्यों और तीन केंद्रीय एजेंसियों में फैले 736 बांधों के पुनर्वास और सुरक्षा वृद्धि की परिकल्पना की गई है। ड्रिप चरण-II 12 अक्टूबर 2021 से चालू हो गया है, और इसे विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट (एआईआईबी) द्वारा सह-वित्तपोषित किया जा रहा है। दूसरे चरण के लिए वित्तीय परिव्यय 5,107 करोड़ रुपए है, जबकि तीसरे चरण के लिए 5,104 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

इस स्कीम के अंतर्गत पुनर्वास और सुधार कार्यों का उद्देश्य संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों के माध्यम से बांध सुरक्षा और बाढ़ से निपटने की क्षमता को बढ़ाना है। इनमें पैरापेट की दीवारों को ऊपर उठाना, स्पिलवे में सुधार, ओ एंड एम मैनुअल और आपातकालीन कार्य योजना तैयार करना, फाटकों और हाइड्रो-मैकेनिकल घटकों की मरम्मत या बदलना, ग्राउटिंग और रिसाव नियंत्रण के साथ बांध संरचनाओं को मजबूति प्रदान करना और एक्सेस रोड, लाइटिंग, कैटवॉक और डीजी सेट जैसी सुरक्षा सुविधाओं को अपग्रेड करना शामिल है।

वर्तमान में चल रही ड्रिप-II स्कीम के अंतर्गत, 4,744 करोड़ रूपए की लागत से 173 बांधों के पुनर्वास प्रस्तावों (जिसे प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेम्प्लेट, पीएसटी कहा जाता है) को अनुमोदन दिया गया है। विभिन्न कार्यान्वयन राज्यों/एजेंसियों द्वारा 2816 करोड़ रूपए की संविदा की गई है। ड्रिप-II स्कीम के अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार कुल व्यय 2029 करोड़ रूपए है। 35 बांधों पर प्रमुख वास्तविक पुनर्वास कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

ड्रिप-II स्कीम के अंतर्गत आवंटित निधि और किए गए व्यय का राज्य/एजेंसी-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ङ.): वर्ष 2025 की मानसून पश्चात् निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, तीन बांधों को श्रेणी-I के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जो गंभीर सुरक्षा चिंताओं और कमजोरियों को दर्शाता है जो महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं और उनके निरंतर सुरक्षित प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता हैं। इनमें से दो श्रेणी-I बांधों नामत: उत्तर प्रदेश में लोअर खजूरी बांध और दामोदर घाटी निगम के बोकारो बैराज को पुनर्वास और सुरक्षा बढ़ाने के लिए ड्रिप-II स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

तीसरे श्रेणी-I बांध, लक्ष्मी (मेडिगड्डा) बैराज के संबंध में, राज्य से अनुरोध किया गया है कि वह संरचना की क्षमता और मजबूती को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा सुझाए गए विभिन्न निवारक और शमनकारी उपायों को कार्यान्वित करे।

अनुलग्नक

"पुराने बांधों की स्थिति और उनकी सुरक्षा" के संबंध में दिनांक 29.01.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 143 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

ड्रिप चरण-II के अंतर्गत राज्य/एजेंसी-वार निधि का आवंटन और व्यय

(31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	**राज्य/एजेंसी**	**ड्रिप-II के अंतर्गत नवीनतम निधि आवंटन**	**किया गया व्यय**
		(रुपए करोड़ में)	**(रुपए करोड़ में)**
1	भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड	70	0.04
2	छत्तीसगढ़ डब्ल्यूआरडी	170	53.34
3	दामोदर घाटी निगम	44	1.17
4	गोवा डब्ल्यूआरडी	58	0
5	गुजरात डब्ल्यूआरडी	350	245.86
6	कर्नाटक डब्ल्यूआरडी	699	284.02
7	केरल एसईबीएल	90	59.44
8	केरल डब्ल्यूआरडी	130	45.77
9	महाराष्ट्र डब्ल्यूआरडी	379	72.72
10	मणिपुर डब्ल्यूआरडी	98	59.72
11	मेघालय पीजीसीएल	150	67.81
12	मध्य प्रदेश डब्ल्यूआरडी	186	33.19
13	ओडिशा डब्ल्यूआरडी	100	37.52
14	पंजाब डब्ल्यूआरडी	71	0.36
15	राजस्थान डब्ल्यूआरडी	503	166.17
16	तमिलनाडु जीईसीएल	260	153.32
17	तमिलनाडु डब्ल्यूआरडी	510	280.68
18	तेलंगाना डब्ल्यूआरडी	100	0
19	उत्तराखंड जेवीएनएल	300	214.89
20	उत्तर प्रदेश आईएंडडब्ल्यूआरडी	354	31.03
21	पश्चिम बंगाल आईएंडडब्ल्यूआरडी	200	53.99
22	केन्द्रीय जल आयोग	285	168.49
	कुल	**5107**	**2029.53**
